उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24–ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या–17951/दस–लाइसेंस–33/एफ0एल0, माडल शाप/2003–04 दिनांक 08 सितम्बर, 2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिए फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1. (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2–परिभाषाएं–

(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात **प्रतिकूल** न हो, इस नियमावली में–

(क)**"अधिनियम"** का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है।

(ख) **"दैनिक लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य प्रतिफल के उस भाग से है, जो अन्तरिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसे दर पर भुगतान किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(ग) **"विदेशी मदिरा"** का तात्पर्य भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई स्प्रिट या मदिरा **से है** और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा जिससे कि वह सुगंध **या** रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका, **वाइन** और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित हैं और इसमें भारत में किण्वित बीयर, ड्राउट बीयर तथा कम तीब्रता के मादक पेय भी सम्मिलित है।

(घ) **"आबकारी वर्ष"** का तात्पर्य **दिनांक** एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ङ) **"परिवार"** का तात्पर्य इसमें दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियां और आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं।

(च) **"प्रपत्र"** का तात्पर्य इस निमयावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(छ) **"लाइसेंस प्राधिकारी"** का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है।

(ज) **"लाइसेंस फीस"** का तात्पर्य किसी माडल शाप में विदेशी मदिरा के विक्रय के **लिये** एकान्तिक विशेषाधिकार के लाइसेंस प्रदान करने के प्रतिफल स्वरुप नियत किसी धनराशि से है **और बार की सुविधायें प्रदान करने के लिये, समय समय पर निर्धारित अतिरिक्त लाइसेंस फीस इसमें सम्मिलित होगी।**

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के दस प्रतिशत के बराबर **की** धनराशि से है, जिसे **अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से राजकीय कोषागार** में ब्याज रहित प्रतिभूति के रुप में जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम **व्यवस्थापन** के पश्चात् वापस किये जाने योग्य है।

(ञ) राज्य का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

(ट) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य विदेशी मदिरा एवं बियर के अधिकतम फुटकर मूल्य को दस रूपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी/यवासवनी स्तर पर संदेय होगी तथा आसवनी/यवासवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी लागत के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक लागत के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी।

(ठ) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम–10 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।

(ड) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञापी के चयन आधार के रूप में तात्पर्यित दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।

(ढ़)"पोर्टल" का तात्पर्य मदिरा विनिर्मित करने से लेकर उसके तिवरण के अन्तिम स्तर तक की प्रक्रिया से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में सूचना अपलोड किये जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से सृजित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से है।

(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है।

(त) "व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो।

(थ) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य ई/लाटरी के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व भी किया जा सकता है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं।

नियम–3. फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन

(क) विदेशी मदिरा की फुटकर **बिक्री** के लिये इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये और माडल शाप की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के संदाय के अधीन रहते हुये उसमें **यथा विनिर्दिष्ट** नियत लाइसेंस फीस पद्धति द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यस्थापन किया जायेगा।

(ख) परिसर के बाहर और परिसर में विदेशी मदिरा/**बियर/वाइन/एल0ए0बी0** के मुहरबन्द बोतलों की फुटकर बिक्री और परिसर में उपभोग के लिये ड्राउट बीयर की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रपत्र वि0म0 4(क) में स्वीकृत किया जायेगा **और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के पश्चात् खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों एवं उन पर प्रयुक्त ढ़क्कनों को नष्ट करके निस्तारण करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी/विक्रेता का होगा।**

(ग) सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके किसी भाग के लिये समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त **उक्त** अधिनियम की धारा–24 क के अधीन लाइसेंस फीस निर्धारित करेगा।

परन्तु यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन मध्य सत्र में अवशेष अवधि के लिये किया जाता है, तो :–

(एक) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल से 30 जून) में किया जाता है, तो सम्पूर्ण वर्ष के लिये यथानिर्धारित लाइसेंस फीस संदेय होगी।

(दो) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन द्वितीय त्रैमास (01 जुलाई से 30 सितम्बर) में किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 3/4 भाग के समतुल्य संदेय होगी।

(तीन) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन तृतीय त्रैमास (01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर) में किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/2 भाग के समतुल्य संदेय होगी।

(चार) यदि ऐसी दुकान का व्यवस्थापन/ पुनर्व्यस्थापन चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी से 31 मार्च) में किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/4 भाग के समतुल्य संदेय होगी।

(घ) प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम **व्यवस्थापन** के पश्चात् प्रतिसंदेय ब्याजमुक्त प्रतिभूति के रूप में **ई–पेमेन्ट अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा नकद में राजकीय** कोषागार में

जमा की जायेगी। **प्रतिभूति धनराशि को जमा करने की अधिमानी रीति ई–पेमेन्ट होगी।**

नियम–4. माडल शाप के लिये आवेदन पत्र– राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी, माडल शाप के लिये इस क्षेत्र में प्रसार रखने वाले दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम **के साथ–साथ वेबसाइट पर** व्यापक प्रचार करने के पश्चात् आबकारी आयुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

नियम–5. माडल शाप का परिसर –माडल शाप का परिसर नगर के व्यवसायिक क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों, जो नगर निकाय की भॉति विकसित हो, में होगा। **परन्तु** माडल शाप के लिये अन्य आवश्यकतायें पूर्ण हों। माडल शाप का परिसर कम से कम **छः सौ** वर्गफुट कार्पेट क्षेत्र का होगा। यह पूर्णतः वातानुकूलित होना चाहिये। माडल शाप **में** प्रसाधन अनिवार्य है। पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये। **स्वच्छता के मानकों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।**

नियम–6. लाइसेंस की अवधि– लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, किन्तु **लाइसेंसधारी की इच्छानुसार** अनुज्ञापन **अगले आबकारी वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीकृत** अथवा विस्तारित किया जा सकेगा ।

नियम–7– लाइसेंस का प्रदान किया जाना– इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस के भुगतान करने और प्रतिभूति धनराशि **को अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** जमा करने पर लाइसेंस प्रदान किया जायेगा। **लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जहॉ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।**

नियम 8–आवेदक की पात्रता की शर्तें–माडल शाप के लाइसेंस के लिये आवेदक–
(क) भारत का नागरिक तथा आयकरदाता हो,

निकाल दिया गया।

दो से अनधिक आवेदक, अर्थात एक व्यक्तिगत रूप से व दूसरा सह–आवेदक व्यक्ति के साथ दोनों भारत के नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आवंटन के पश्चात् आवेदक तथा सह–आवेदकों की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा।

भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये पात्र नहीं होगी। इसी भॉति थोक विक्रेता अथवा आसवनी/ मदिरा निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का अनुज्ञापन धारण करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

निकाल दिया गया।

निकाल दिया गया।

निकाल दिया गया।

परन्तु यदि लाइसेंस किसी **एकल** व्यक्ति द्वारा धारित हो, तो **उसकी** मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र **हो/हों,** लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञापनधारी **बना रह सकता हैं/बने**

रह सकते हैं।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो **व्यक्तियों** द्वारा लाइसेंस प्राप्त किय गया हो, तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति मे जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसों) के साथ यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनो **व्यक्तियों** की मृत्यु की दशा में **उनका**/उनके विधिक वारिस (वारिसों) यदि अन्यथा पात्र **हो/हों,** अनुज्ञापनधारी **बना रहा सकता है**/बने रह सकते हैं। दोनो **व्यक्तियों** के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) **आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस को इक्कीस** वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) अधिनियम के उपबन्धों **या तद्धीन** बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने करने के लिये व्यतिक्रमी/काली सूची में न हो या विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो आबकारी अपराध के लिये दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न किया गया हो।

(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अनधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र होगा।

(घ) **निकाल दिया गया।**

(ड.) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा;

(एक) यह कि उसके पास समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर **माडल शाप** खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा **उसने** किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।

(दो) यह कि **उसके** दुकान **का** प्रस्तावित परिसर किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन **करके निर्मित** नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और` संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिमय, 1910 या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया हो।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी **प्रमाण–पत्र लाइसेंस निर्गत होने के पूर्व** यह दर्शाते हुये प्रस्तुत करना होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यो का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को **विक्रेता** या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी, **जैसा कि** उपरोक्त खण्ड–**(तीन)** में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या **इक्कीस** वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।**

(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों का या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या **कारोबार** के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका व्यौरा, यदि अपेक्षित **होगा,** तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) **निकाल दिया गया।**

(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल से रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये भी अप्राप्त होगा।

(च) यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि आन लाइन आवेदन के साथ आबकारी विभाग के राजकीय खाते में जमा करेगा। अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर ली जायेगी। अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त आवेदक को इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

(छ) यह कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र धारक है और सह आवेदक सहित उसकी ऋणशोधन क्षमता की मालियत किसी जिला में एक दुकान का लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से अन्यून धनराशि के समतुल्य होगी। किन्तु सह–आवेदक होने की स्थिति में लाइसेंस स्वीकृति हेतु अपेक्षित ऋणशोधन क्षमता के निर्धारित मानदण्डों को दोनों व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।

नियम 9–लाइसेंसधारी का चयन–

कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी माडल शाप के लिए स्थान चिन्हित कर आबकारी आयुक्त से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर **जिला** में प्रसार वाले समाचार पत्रों व अन्य ऐसे माध्यम जिन्हें वह उचित समझे द्वारा व्यापक प्रचार **के पश्चात् आन लाइन आवेदन आमंत्रित करेगा।** किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुज्ञापी का चयन पात्र अभ्यर्थियों में से **ऐसे** जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जायेग, जो **निम्नानुसार हैः–**

(1)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(4)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

(क) **आवेदकों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी प्रकिया के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा जिसमें अपात्रता के कारण उल्लिखित होगे और वह ई–लाटरी हेतु गठित जिला स्तरीय लाइसेंस समिति के समक्ष सूची प्रस्तुत करेगा।**

(ख) उक्त समिति **आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये अनुज्ञापी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुक्रम के अनुसार देशी मदिरा, माडल शाप, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों के क्रम में अपनायी जायेगी। किसी भी आवेदक के पक्ष में स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ एक जनपद में सभी प्रकार की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।**

निकाल दिया गया।

(ग) यदि चयनित आवेदक अपेक्षित लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या निर्धारित अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम

रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और **शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से** दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या **ई–लाटरी के प्रथम चक्र में** किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु **शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से** तत्काल उपाय करेगा।

नियम–10–लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि का जमा किया जाना– यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **छः** कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 दिनों के भीतर जमा कर दें। **आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का समस्त भुगतान अधिमानतः ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।**

अनुवर्ती वर्ष में दुकान का अनुज्ञापन राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार लाइसेंसधारी की इच्छा पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

यदि वह विहित अवधि में लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और उसके द्वारा जमा की गयी **प्रतिभूति धनराशि** राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान **का** तत्काल पुनर्व्यवस्थापन **सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से** कर दिया जायेगा।

नियम–11– व्यवस्थित की गयी दुकान का विवरण– जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के **सात** दिन के भीतर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते प्रतिभूति धनराशि और जमा की गयी लाइसेंस फीस की धनराशि का विवरण होगा **तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।**

नियम–12. मदिरा का उठान– इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदशी मदिरा **और बियर** के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क **(अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित),** जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जाय, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0श0–2/2बी) और राज्य के एफ0एल0–2डी से **विदेशी मदिरा और बियर के समस्त प्रचलित रजिस्ट्रीकृत ब्राण्डों की पर्याप्त आपूर्ति** प्राप्त करेगा। किसी जिला में अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त **कर 24 घण्टे के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित** करेगा।

नियम –13. अधिकतम फुटकर मूल्य – विदेशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम् बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा। **अधिकतम फुटकर मूल्य (एम.आर.पी.) से अधिक मूल्य प्रभारित किये जाने की दशा में वह नियम–17 के अधीन दण्डनीय होगा।**

नियम–14.बिक्री के घंटे एवं दुकानों की बन्दी–अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त(स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर(गांधी जंयन्ती) 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस अधिकारी द्वारा बन्दी के लिये यथाअधिसूचित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिनों में **मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक** खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के लिये सुसंगत

कानूनों के प्राविधानों के अधीन माडल शाप की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर शाप की बन्दी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

नियम–15. लाइसेंस की अवधि की समाप्ति पर अविक्रीत स्टाक–

लाइसेंस की अविध की समाप्ति पर अवशेष और अविक्रीत पायी गयी विदेशी मदिरा/**बीयर** की मात्रा अतिशेष की घोषणा लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारी को **लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिन की जायेगी और उसके द्वारा सम्बन्धित थोक विक्रय को अपरान्ह पॉच बजे तक वापस कर दिया जायेगा। ऐसे स्टाक का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से किया जायेगा।**

नियम–16. लाइसेंस का अभ्यर्पण–

कोई लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम, एक माह की लिखित नोटिस के पश्चात् अपना लाइसेसं अभ्यर्पित कर सकता है। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा, और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये बिना विलम्ब के दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी करेगा।

नियम–17. लाइसेंस निलम्बन व निरस्तीकरण –

(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल पाई जाती है, जिस पर प्रतिफल फीस का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी **विभाग** द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित **सुरक्षा कोड** प्रतिफल फीस भुगतान के प्रमाण के रूप में नहीं लगाया है।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषाधि (जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है।

(ग) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरूद्ध अनुज्ञापी के कब्जे से कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है।

(घ) यदि लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें दिया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ड.) यदि लाइसेंसधारी अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधियॉ एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

(च) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई ऐसी बोतल/कन्टेनर पाया जाता है जिस पर अधिकतम फुटकर मूल्य अंकित नहीं है, या

(छः) यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंस असत्य नाम से प्राप्त किया गया है या लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लाइसेंसधारण किये हुये हैं।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति जमा को समपहृत करने के लिये कारण बताओ नोटिस भी तामिल करेगा। लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(3) लाइसेंसधारी इस नियम के अधीन लाइसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के किसी प्रतिकर या प्रतिसंदाय का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि लाइसेंस निरस्त किया जाता है तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

(1) **ऐसे मामले में लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया**

जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाअधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किये जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन उच्चतम आफर पर एक बार में अधिकतम 14 दिनों के लिये या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में व्यवस्थापन सार्वजनिक ई–लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

परन्तु यह कि लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन दो बार से अधिक के लिये नहीं करेगा।

(2) **निकाल दिया गया।**

प्रपत्र एफ0एल0–4 (ए)

वि0 म0–4 (क)

परिसर के बाहर/परिसर में उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय और परिसर में ड्राट बीयर के फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो

दुकान का फोटो

दुकान का अक्षांश/देशांतर.....

लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....
दुकान का नाम.....जिला.....माडल शाप.....
मोहल्ला.....
लाइसेंस फीस रूपया .....(अंकों में).....(शब्दों में)
प्रतिभूति धनराशि रू0 ....(अंकों में).....(शब्दों में)
भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ) .....
उत्तर :.....
दक्षिण : .....
पूरब :.....
पश्चिम :.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

(1)..... पुत्र..... निवासी .....
(2)..... पुत्र..... निवासी .....
(3)..... पुत्र..... निवासी .....
(4)..... पुत्र..... निवासी .....

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

(1)..... पुत्र.....निवासी .....
(2)..... पुत्र.....निवासी .....
(3)..... पुत्र.....निवासी .....
(4)..... पुत्र.....निवासी .....

परिसर के बाहर व परिसर में उपभोग के लिए मानक बोतलों/**केन्स/टेट्रापैक** में विदेशी मदिरा/ **बीयर/ वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय** परिसर के अंदर ड्राट बीयर वाइन की फुटकर बिक्री के लिए माडल शाप लाइसेंस एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... स्थान, पुलिस थाना..... ....., तहसील..... के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 20..... तक के लिए, जिसके लिए नियम–3 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, उसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारक सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किए जाने के लिए दायी होगा।

सामान्य और विशेष शर्ते

1– लाइसेंसधारी समय–समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस **(अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित)** को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा/**वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय** की कीमत का पूर्ण भुगतान **अधिमानतः ई–पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से** करने के पश्चात् जिले के विदेशी मदिरा थोक लाइसेंसधारक (विदेशी मदिरा–2/2ख) व राज्य के एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों से विदेशी मदिरा/ **वियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय** की आपूर्ति प्राप्त करेगा।

2– अनुज्ञापी अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी को अवगत करायेगा, जो आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेंगे।

3– विदेशी मदिरा/**बियर/वाइन/कम तीव्रता के मादक पेय** की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।

4– अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री परिसर के बाहर उपभोग के लिए व परिसर में उपभोग के लिए की जायेगी तथा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार** दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद **खाली** हुई पेट/**शीशे की बोतलों एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के बिक्रेता/ अनुज्ञापी की होगी।**

5– किसी भी व्यक्ति को 60 मि0ली0 की एक मानक निप बोतल से कम मात्रा की विक्री नहीं की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।

6– विहित तीव्रता और मानक क्षमता की मुहरबन्द बोतलों में बिक्री की जायेगी और जिन पर प्रतिफल फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।** अनुज्ञापी मदिरा पान की व्यवस्था भी रखेगा तथा गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थ पका कर भी उपलब्ध करायेगा।

7– लाइसेंसधारी विहित **प्रपत्र और** रजिस्टर (एफ0एल0–25क) में, **जैसा** लाइसेंस प्राधिकारी **द्वारा निर्धारित किया गया हो,** नियमित एवं सही–सही दैनिक हिसाब रखेगा **एवं उसका विभागीय वेबसाइट यूपीएक्साइजसर्विस.इन पोर्टल पर एस.एम.एस. के माध्यम से अपलोड करेगा तथा** जब कभी **सक्षम** निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।

8– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा। **वह ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के अन्तर्गत यथा विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों के अवलोकन के लिये आवश्यक यंत्र रखेगा।**

9– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित** एक सहज दृष्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, विदेशी शराब का अनुज्ञप्ति धारक फुटकर बिक्रेता दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वार यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेंगी। **साईन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगाः–**

"दुकान के बाहर आस–पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।"

10– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और/ या छुआ–छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। **लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा तथा जिसे निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

11– लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई व 6 लीटर आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग–अलग (जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित है) 3 लीटर भारत में भरी हुई व आयातित वाइन दोनों अलग–अलग, 7.8 लीटर भारत में भरी हुई व आयाातित बीयर प्रत्येक अलग–अलग, 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा तथा 6 लीटर, कम तीव्रता के मादक पेय से अधिक मात्रा में फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा, जब तक कि अन्यथा अनुमति प्राप्त न हो।

12– 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विदेशी मदिरा की विक्री नहीं की जानी चाहिए।

13– लाइसेंसधारी के लिए किसी भी दशा में **जो भी हो** बोतलों या उसके लेबुलों, **सुरक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगा हुआ सुरक्षा कोड,** पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा कड़ाई से निषिद्व है।

14– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाश्नी), रंग, सुगंधि, **सुरक्षा कोड निर्मित करने वाला यंत्र,** लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर (हानिकर) सामग्री नहीं रखेगा।

15– परिसर जिसमें दुकान स्थित है, का उपयोग आवास के स्थान के रुप में लाइसेंसधारी/विक्रेता के सिवाय नहीं किया जायेगा।

16– लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहक को प्रलोभन देने या आकर्षित करने **जैसे द्युत व नृत्य कार्यक्रम** का आश्रय लेना कड़ाई से निषिद्ध है।

17– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गॉधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिन जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर **मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे तक** खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपर्युक्त दिनांकों/दिवसों में दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

18– विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19– लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टाक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, **जिसे नियम–15** के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

20– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य एवं विशेष निर्देशों का पालन करेगा।

21– विदेशी मदिरा के परिसर में कोई देशी शराब भंडारित नहीं की जायेगी।

22. **अनुज्ञापी अभिलेखों के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति करेगा।**

23. अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर में अग्नि निरोधक यंत्र/अग्निशमन यंत्र लगायेगा।

दिनांक .....

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी